[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 79/2020 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. .....(अ)--केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा :--

(i) माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की संख्या, जिसकी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; या

(ii) माल या सेवाओं के प्रदाय का कोई ऐसा वर्ग, जिसके लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की विनिर्दिष्ट संख्या का सभी रजिस्ट्रीकृत करदाताओं द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है ; और

(iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जिससे माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा :"।

3. उक्त नियमों के नियम 67क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**67क. अल्प संदेशकारी सेवा सुविधा द्वारा विवरणी या जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की रीति**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, जिससे कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में शून्य विवरणी, या धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के शून्य ब्यौरें या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8** में शून्य विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है, इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने के प्रति किसी निर्देश में रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या का प्रयोग करने वाली अल्प संदेशकारी सेवा के माध्यम से जावक प्रदायों की उक्त विवरणी या ब्यौरें या विवरण प्रस्तुत करना सम्मिलित होगा और जावक प्रदायों की उक्त विवरणी का किसी रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या आधारित वन टाइम पासवर्ड सुविधा द्वारा सत्यापन किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन के लिए, जावक प्रदायों की शून्य विवरणी या उनके शून्य ब्यौरे या शून्य विवरण से किसी कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी या धारा 37 के जावक प्रदायों के

ब्यौरे या नियम 62 के अधीन विवरण अभिप्रेत होगा, जिसमें, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** या **प्ररूप जीएसटीआर-1** या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8** की सभी सारणियों में कुछ नहीं है या कोई प्रविष्टि नहीं है ।"।

4. उक्त नियम के नियम 80 के उपनियम (3) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के लिए, ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराएगा और वह संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रति तथा उक्त वित्तीय वर्ष के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-9ग** में या तो सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सम्यकत: प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करेगा ।"।

5. उक्त नियम के नियम 138ङ में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 20 मार्च, 2020 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 20 मार्च, 2020 से 15 अक्तूबर, 2020 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी या **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों का विवरण या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8** में विवरण फरवरी, 2020 से अगस्त, 2020 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है ।"।

6. उक्त नियम के नियम 142 के उपनियम (1क) में,--

(i) "उचित अधिकारी करेगा" शब्दों के स्थान पर, "उचित अधिकारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "संसूचित करेगा" शब्दों के स्थान पर, "संसूचित" शब्द रखा जाएगा ।

7. उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में, क्रम संख्यांक 12 के सामने, सारणी के स्तंभ 6 के शीर्षक में, "कुल मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "कर की दर" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटीआर-2क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

प्ररूप जीएसटीआर-2क

[नियम 60(1) देखें]

स्वतः प्रारुपित प्रदाय के ब्यौरे

(प्ररूप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7. जीएसटीआर-8, माल का आयात और एसईज़ेड एकाइयों/ डेवलपरो द्वारा निर्मित माल के आयात से)

वर्ष	
माह	

1.	जीएसटीआईएन		
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो	

भाग क

(सभी सारणी में रकम रुपए में)

3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय, प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली प्रदाय सहित

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	व्यापार/विधिक नाम	बीजक के ब्यौरे				दर (%)	कर योग्य मूल्य	कर की राशि				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियाँ (हाँ/ना)	जीएसटीआर-1/5 की अवधि	जीएसटीआर-1/5 भरने की तारीख	जीएसटीआर-3ख भरने की स्थिति (हाँ/ना)	संशोधन किया, यदि कोई हो (जीएसटीआईएन, अन्य)	कर अवधि जिसमें संशोधन किया	रद्दीकरण की प्रभावी तारीख, यदि कोई हो
		संख्या	प्रकार	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिसमें प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियाँ शामिल हैं का संशोधन (3 का संशोधन)

मूल दस्तावेज का ब्यौरा		पुनरीक्षित ब्यौरे						दर (%)	कर योग्य मूल्य	कर की राशि				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियाँ (हाँ/ना)	जीएसटीआर-1/5 की अवधि	जीएसटीआर-1/5 भरने की तारीख	जीएसटीआर-3ख भरने की स्थिति (हाँ/ना)	संशोधन किया (जीएसटीआईएन, अन्य)	**मूल दस्तावेज की कर अवधि**	रद्दीकरण की प्रभावी तारीख, यदि कोई हो
संख्या	तारीख	जीएसटीआईएन	व्यापार/वि	संख्या	प्रकार	तारीख	मूल्य			एकीकृत	केंद्रीय कर	राज्य/संघ	उपकर								

			धिकनाम							कर		राज्य क्षेत्र कर									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

*5. चालू कर अवधि में प्राप्त **अतिशेष/जमापत्र***

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	प्रदायकर्ता का व्यापार/विधिक नाम	**अतिशेष/जमापत्र के ब्यौरे**					दर (%)	कर योग्य मूल्य	कर की राशि				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियाँ (हाँ/ना)	जीएसटीआर-1/5 अवधि	जीएसटीआर-1/5 भरने की तारीख	जीएसटीआर-3ख भरने की स्थिति (हाँ/ना)	संशोधन किया, यदि कोई हो (जीएसटीआईएन, अन्य)	कर अवधि जिसमें संशोधन किया	रद्दीकरण की प्रभावी तारीख, यदि कोई हो
		संख्या	पत्र प्रकार	पत्र आपूर्ति का प्रकार	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

*6. **अतिशेष/जमापत्र** का संशोधन (5 का संशोधन)*

मूल दस्तावेज का ब्यौरा	पुनरीक्षित ब्यौरे	दर (%)	कर योग्य मूल्य	कर की राशि	प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली	जीएसटीआर-1/5 की अवधि	जीएसटीआर-1/5 भरने की तारीख	जीएसटीआर-3ख भरने की स्थिति (हाँ/ना)	संशोधन किया(जीएसटीआईएन, अन्य)	**मूल दस्तावेज की कर अवधि**	रद्दीकरण की प्रभावी तारीख, यदि कोई हो

															का नाम)	आपूर्तियाँ (हाँ/ना)					
प्रकार	संख्या	तारीख	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	व्यापार/ विधिक नाम	संख्या	पत्र प्रकार	पत्र आपूर्ति का प्रकार	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/ संघराज्य क्षेत्र कर	उपकर							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

<u>भाग ख</u>

7. ***प्राप्त आईएसडी प्रत्यय***

आईएसडी का जीएसटीआईएन	प्रदायकर्ता का व्यापार/ विधिक नाम	आईएसडी दस्तावेज के ब्यौरे			आईएसडी बीजक ब्यौरे (केवल आईएसडी जमा पत्र के लिए)		संबंधित आईटीसी राशि				जीएसटीआर-6 की अवधि	जीएसटीआर-6 भरने की तारीख	संशोधन किया, यदि कोई हो	कर अवधि जिसमें संशोधन किया	आईटीसी की उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8. ***आईएसडी प्रत्यय के ब्यौरे का संशोधन***

मूल आईएसडी	पुनरीक्षित ब्यौरे		मूल आईएसडी	संबंधित आईटीसी राशि		आईएसडी जीएसटी	आईएसडी जीएसटी	संशोधन	**मूल दस्ता**	आईटी

दस्तावेज के ब्यौरे								बीजक ब्यौरे (केवल आईएसडी जमा पत्र के लिए)						आर-6 की अवधि	आर-6 भरने की तारीख	किया	**वेज की कर अवधि**	सी की उपल ब्धता
प्र कार	सं ख्या	तारी ख	आईए सडी का जीएस टी आईए न	व्यापार/वि धिक नाम	प्रका र	सं ख्या	तारी ख	सं ख्या	तारी ख	एकीकृ त कर	केंद्री य कर	राज्य/सं घ राज्य क्षेत्र कर	उप कर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

<u>भाग ग</u>

9. ***प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय (उसके संशोधनों सहित)***

कटौतीकर्ता का जीएसटी आईएन / ई-वाणिज्यिक आपरेटर का जीएसटीआईएन	कटौतीकर्ता / ई-वाणिज्यिक आपरेटर का नाम	जीएसटीआर-7/ जीएसटीआर-8 की कर अवधि (मूल/ संशोधित)	प्राप्त राशि / सकल मूल्य (मूल/ संशोधित)	आपूर्ति वापसी का मूल्य	टीसीएस के लिए निवल राशि	राशि (मूल/संशोधित)		
						एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9क. टीडीएस								
9ख. टीसीएस								

भाग घ

10. प्रवेश के बिल पर विदेशों से माल का आयात (उनके संशोधन सहित)

आइसगेट संदर्भ तारीख	प्रवेश के बिल के ब्यौरे				कर की राशि		संशोधित (हाँ/ना)
	पोत कोड	संख्या	तारीख	मूल्य	एकीकृत कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8

11. प्रवेश के बिल पर एसईज़ेड एकाइयों/ डेवलपरो से माल का आयात (उनके संशोधन सहित)

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन (एसईज़ेड)	व्यापार/विधिक नाम	आइसगेट संदर्भ तारीख	प्रवेश के बिल के ब्यौरे				कर की राशि		संशोधित (हाँ/ना)
			पोत कोड	संख्या	तारीख	मूल्य	एकीकृत कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

निर्देश:

1. प्रयुक्त पद :-
   क। आइटीसी- इनपुट टैक्स क्रेडिट
   ख। आइएसडी - इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
2. महत्वपूर्ण सलाह : प्ररूप जीएसटीआर-2क एक ऐसा विवरण है जिसको आपके आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1,5,6,7 या 8 में दी गयी जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यह एक परिवर्तनशील विवरण है और जिसे आपके आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा किए गए नए योग/संशोधन के आधार पर लगभग वास्तविक समय मे अद्यतन किया जाता रहता है। आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा जोड़े गए ब्यौरों को प्राप्तकर्त्ता के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर-2ए में दर्शाया जाता है, चाहे आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत करने की तारीख कुछ भी हो।

3. ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कि, कर की लागू दर के प्रतिशत को सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाए। जहां ऐसी दर लागू हो वहाँ बीजक/दस्तावेजों के लिए अलग से एक कालम दिया जाएगा।

4. तालिकावार निर्देश:

तालिका संख्या और शीर्षक	**निर्देश**
3	i. इस तालिका में आपके आपूर्तीकर्त्ताओं द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय, प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली प्रदाय सहित	में सहेजे / प्रस्तुत किए गए सभी बीजकों (प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली बीजक सहित) के ब्यौरे आएंगे ii. बीजक के प्रकार: क॰ आर- नियमित (एसईज़ेड आपूर्ति और डीम्ड एक्सपोर्ट से भिन्न) ख॰ एसईजेडडब्ल्यूपी - कर के भुगतान के साथ एसईज़ेड आपूर्ति ग॰ एसईजेडडब्ल्यूओपी- कर के भुगतान के बिना एसईज़ेड आपूर्ति घ॰ डीई - डीम्ड एक्सपोर्ट ड॰ सीबीडब्ल्यू - आईजीएसटी आकर्षित करने वाली अन्तः राज्य आपूर्ति। iii. प्रत्येक बीजक के लिये प्ररूप जीएसटीआर -1/5 जिसमें उस बीजक को घोषित और प्रस्तुत किया गया है की अवधि और तारीख दी गई है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा जोड़े गए ब्यौरों को प्राप्तकर्त्ता के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर-2ए में दर्शाया जाता है, चाहे आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत करने की तारीख कुछ भी हो । उदाहरणार्थ, यदि आपूर्तिकर्त्ता अपने बीजक आईएनवी-1 दिनांक 10 नवम्बर, 2019 को अपने मार्च 2020 के प्ररूप जीएसटीआर -1 प्रस्तुत करता है तो ऐसे बीजक को मार्च 2020 के प्ररूप जीएसटीआर -2क में ही दर्शाया जायेगा। इसी प्रकार, यदि आपूर्तिकर्त्ता अपने नवंबर माह के प्ररूप जीएसटीआर -1 को 5 मार्च, 2020 को प्रस्तुत करता है तो ऐसी बीजक को प्राप्तकर्त्ता के नवम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर -2क में दर्शाया जायेगा। iv. प्ररूप जीएसटीआर-1 के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर-3बी के प्रस्तुत किए जाने की वस्तुस्थिति भी दर्शायी जाएगी। v. इस तालिका में यह भी दर्शाया जाएगा कि क्या आपूर्तिकर्त्ता ने किसी बीजक या अतिशेष पत्र (डेबिट नोट) में कोई संशोधन किया है, और यदि हाँ तो, वह कर अवधि जिसमें ऐसे बीजक का संशोधन किया गया, घोषित किया गया और प्रस्तुत किया गया। उदाहरणार्थ, यदि आपूर्तिकर्त्ता ने 10 नवम्बर, 2019 के बीजक आईएनवी -1 अपने नवम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किया है, तो उसके इस बीजक को नवम्बर, 2019के प्ररूप जीएसटीआर-2क में दर्शाया जायेगा। यदि आपूर्तिकर्त्ता अपने दिसम्बर 2019 के प्ररूप जीएसटीआर -1 में इस बीजक का संशोधन करता है, तो इस संशोधित बीजक को दिसम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर -2क की सारणी 4 में दर्शाया जाएगा। प्राप्तकर्त्ता के नवम्बर 2019के प्ररूप जीएसटीआर-2क की तालिका 3 में दिये गए मूल रेकार्ड मे अब अद्यतन के कालम होगें जिसमें किए गए संशोधन को (जीएसटीआईएन, अन्य) और संशोधन की कर अवधि जो की दिसम्बर

	2019 है, को दर्शाया जाएगा। vi. यदि आपूर्तिकर्ता ने अपना पंजीकरण रदद् करवा दिया है, तो प्रभावी रद्दीकरण तारीख भी दर्शायी जाएगी ।
4 रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिसमें प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियाँ शामिल है का संशोधन (3 का संशोधन)	i इस तालिका में आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5 में सहेजे /प्रस्तुत किए गए बीजकों (प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली बीजक सहित) का संशोधन है । ii मूलरूप से बीजक को दर्ज किए जाने वाली कर अवधि और संशोधन के प्रकार को भी बताया जायगा। उदाहरण के लिए, यदि आपूर्तिकर्ता ने 10 नवम्बर, 2019 के बीजक आईएनवी-1, अपने नवम्बर, 2019 के जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किया है, तो उसके इस बीजक को नवम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर-2क में दर्शाया जायेगा। यदि आपूर्तिकर्ता अपने दिसम्बर 2019 के जीएसटीआर-1 में इस बीजक का संशोधन करता है, तो इस संशोधित बीजक को दिसम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर-2क की सारणी 4 में दर्शाया जाएगा। प्राप्तकर्ता के नवम्बर 2019 के प्ररूप जीएसटीआर-2क की तालिका 3 में दिये गए मूल रेकार्ड मे अब अब अद्यतन के कालम होगें जिसमें किए गए संशोधन को (जीएसटीआईएन, अन्य) और संशोधन की कर अवधि जो की दिसम्बर 2019 है, को दर्शाया जाएगा।
5 चालू कर अवधि में प्राप्त **अतिशेष/जमापत्र** (डेबिट / क्रेडिट नोट)	i. इस तालिका में आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5 में सहेजे /प्रस्तुत किए गए क्रेडिट/डेबिट नोट (प्रतिवर्ती प्रभार आकर्षित करने वाले क्रेडिट/डेबिट नोट सहित) के ब्यौरे है । ii यदि क्रेडिट/डेबिट नोट को बाद में संशोधित किया गया है, तो वह कर अवधि जिसमें नोट संशोधन किया गया है, भी दर्शायी जाएगी । iii नोट के प्रकारः • क्रेडिट नोट/ जमा पत्र • डेबिट नोट/ अतिशेष पत्र iv नोट आपूर्ति के प्रकारः ○ आर- नियमित (एसईज़ेड आपूर्ति और डीम्ड एक्सपोर्ट से भिन्न) ○ एसईजेडडब्ल्यूपी - कर के भुगतान के साथ एसईज़ेड आपूर्ति ○ एसईजेडडब्ल्यूओपी- कर के भुगतान के बिना एसईज़ेड आपूर्ति एसईजेड ○ डीई - डीम्ड एक्सपोर्ट ○ सीबीडब्ल्यू - आईजीएसटी आकर्षित करने वाली अन्तः राज्य आपूर्ति। v प्रत्येक क्रेडिट या डेबिट नोट के लिये प्ररूप जीएसटीआर-1/5 की अवधि और तारीख दी गई है, जिसमें ऐसी क्रेडिट या डेबिट नोट को घोषित और प्रस्तुत किया गया है । इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा दिये गए ब्यौरों को प्राप्तकर्ता के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर-2क में दर्शाया जायेगा, चाहे आपूर्ति कर्ता के द्वारा जीएसटीआर-1 प्रस्तुत किये जाने की तारीख कुछ भी हो। उदाहरणार्थ, यदि आपूर्तिकर्ता अपने क्रेडिट नोट सीएन-1 दिनांक 10

	नवम्बर, 2019 को अपने मार्च 2020 के प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करता है तो ऐसे क्रेडिट नोट को मार्च 2020 के प्ररूप जीएसटीआर**-2**क में ही दर्शाया जायेगा। इसी प्रकार**,** यदि आपूर्तिकर्त्ता अपने नवंबर माह के प्ररूप जीएसटीआर**-1** को 5 मार्च**,** 2020 को प्रस्तुत करता है तो ऐसी क्रेडिट नोट को प्राप्तकर्ता के नवम्बर**,** 2019 के प्ररूप जीएसटीआर-2**क** में दर्शाया जाएगा । vi आपूर्तिकर्त्ता के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर-3बी के प्रस्तुत किए जाने की वस्तुस्थिति भी दर्शायी जाएगी। vii इस तालिका में यह भी दर्शाया जाएगा कि क्या आपूर्तिकर्त्ता ने किसी क्रेडिट या डेबिट नोट में कोई संशोधन किया है। और यदि हाँ तो, वह कर अवधि जिसमें ऐसा क्रेडिट या डेबिट नोट में संशोधन घोषित या प्रस्तुत किया गया है को दर्शाया जाएगा । viii यदि आपूर्तिकर्ता ने अपना पंजीकरण रदद् करवा दिया है, तो प्रभावी रद्दीकरण तारीख भी दर्शायी जाएगी ।
6. डेबिट/ क्रेडिट नोट में संशोधन (5 में संशोधन)	i. इस तालिका में आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5 में सहेजे /प्रस्तुत किए गए क्रेडिट/डेबिट नोट के संशोधन (प्रतिवर्ती प्रभार आकर्षित करने वाले क्रेडिट/डेबिट नोट सहित) के ब्यौरे है । ii. कर अवधि जिसमें नोट को मूलरूप से दर्ज किया गया था भी दर्शायी जाएगी।
7. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय	i. इस तालिका में आईएसडी बीजक और आईएसडी क्रेडिट नोट का विवरण दिए गए हैं जिसे एक इनपुट सेवा वितरक ने अपने प्ररूप जीएसटीआर-6 में सहेजा/प्रस्तुत किया है । ii. कागजात के प्रकार, • आईएसडी बीजक • आईएसडी क्रेडिट नोट iii. यदि आईएसडी बीजक जारी किए जाने के बाद आईएसडी क्रेडिट नोट जारी किया गया है, तो ऐसे क्रेडिट नोट के लिए मूल बीजक संख्या और दिनांक भी दर्शाया जाएगा । यदि कागजात का प्रकार आईएसडी बीजक है, तो इन कॉलमों को खाली रखा जाएगा । iv. प्रत्येक आईएसडी बीजक या आईएसडी क्रेडिट नोट के लिए प्ररूप जीएसटीआर-6 की अवधि और दिनांक प्रदान की जाएगी जिनमे संबंधित बीजक या क्रेडिट नोट को घोषित या प्रस्तुत किया गया हो । v. प्ररूप जीएसटीआर-6 में घोषित आईएसडी बीजक पर आईटीसी की पात्रता की वस्तुस्थिति भी प्रदान की जाएगी । vi. आईएसडी क्रेडिट नोट पर आईटीसी की पात्रता की वस्तुस्थिति भी प्रदान की जाएगी ।
8. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय में संशोधन	i इस तालिका में आईएसडी बीजक और आईएसडी क्रेडिट नोट में संशोधन के विवरण दिए गए हैं जिसे एक इनपुट सेवा वितरक ने अपने प्ररूप जीएसटीआर-6 में सहेजा/प्रस्तुत किया है ।

9. प्राप्त टीडीएस / टीसीएस प्रत्यय	i. इस तालिका में प्ररूप जीएसटीआर-7 और प्ररूप जीएसटीआर-8 से टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय का विवरण और किसी कर अवधि के दौरान इसमें किए गए संशोधन दिए गए हैं । ii. सामान्य पोर्टल पर टीडीएस/टीसीएस प्रत्यय को स्वीकार / अस्वीकार करने के लिए एक अलग सुविधा दी जाएगी।
10. & 11. विदेशों से, एसईजेड इकाइयों से और एसईजेड डेवलपर्स से 'प्रवेश के बिल' पर आयातित माल का विवरण और उनसे संबंधित संशोधन	i इस तालिका में विदेशों से, एसईजेड इकाइयों से और एसईजेड डेवलपर्स से 'प्रवेश के बिल' पर आयातित माल पर आईजीएसटी भुगतान का विवरण और उससे संबंधित संशोधन दिए गए हैं । ii आइसगेट में वह संदर्भ तारीख दी गई है जिस तारीख से प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स प्रत्यय के पात्र है। iii तालिका में यह भी दिया गया है कि क्या 'प्रवेश के बिल' को संशोधित किया गया है । iv सारणी में दी गई जानकारी आइसगेट के डाटा से प्राप्त सूचना के आधार पर दी गई है। कुछ आयात से संबंधित जानकारी जैसे कि कोरियर द्वारा आयात की जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।

9. उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-5** में,--

(i) सारणी में,--

(क) क्रम संख्यांक 2 में प्रविष्टि (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(घ)	एआरएन	स्वत: पूर्ण
(ङ)	एआरएन की तारीख	स्वत: पूर्ण ।";

(ख) क्रम संख्यांक 10 में,--

(अ) शीर्षक में, "कुल कर दायित्व" शब्दों के पश्चात्, "(जिसमें प्रतिवर्ती प्रभार दायित्व, यदि कोई हो, भी है)" कोष्ठक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) क्रम संख्यांक 10ख और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"10ग. प्रतिवर्ती प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों के कारण					
					।";

(ii) अनुदेशों में,--

(क) पैरा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"7. कर अवधि से संबंधित, बीजक स्तरीय सूचना, दर-वार, निम्नानुसार रिपोर्ट की जाए :--

(i) सभी ख से ख प्रदायों के लिए (चाहे अंतर-राज्यिक हो या अन्तरा-राज्यिक) बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 5 में अपलोड किए जाने चाहिए ;

(ii) सभी अंतर-राज्यिक ख से ग प्रदायों के लिए, जहां बीजक मूल्य 2,50,000/- रुपए से अधिक है (ख से ग बृहत्त) बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 6 में उपलब्ध कराए जाएं ; और

(iii) सभी ख से ग प्रदायों के लिए, उन प्रदायों से भिन्न, जो सारणी 6 में रिपोर्ट किए गए हैं, ऐसे प्रदायों का राज्यवार सारांश उपलब्ध कराने वाली, सारणी 7 में रिपोर्ट किए जाएंगे ;";

(ख) पैरा 8 के खंड (ii) में, हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ग) पैरा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"10. सारणी 10 में चालू कर अवधि में घोषित जावक प्रदायों के कारण कर दायित्व और चालू कर अवधि में माल के आयात में संशोधन के कारण नकारात्मक आईटीसी सम्मिलित है । आवक प्रदायों को, जिनको प्रतिवर्ती प्रभार लागू होता है, सारणी के भाग ग में रिपोर्ट किया जाएगा ।"।

10. उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-5क** में,--

(i) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"4(क) एआरएन ;

4(ख) एआरएन की तारीख : ";

(ii) क्रम संख्यांक 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**6. ब्याज की संगणना, या कोई अन्य रकम**

(रकम रुपयों में)

क्रम सं0	विवरण	प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	शोध्य रकम (ब्याज/अन्य)	
			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5
1.	ब्याज			
2.	अन्य			
	योग			।

(iii) क्रम संख्यांक 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**7. कर, ब्याज, या संदेय और संदत्त कोई अन्य रकम**

(रकम रुपयों में)

क्रम सं0	विवरण	संदेय रकम		नामे प्रविष्टि सं.	संदत्त रकम	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर

1	2	3	4	5	6	7
1.	कर दायित्व (सारणी 5 और 5क पर आधारित)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर आधारित)					
3.	अन्य (सारणी 6 पर आधारित)					

11. उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-9** में,--

(i) सारणी में,--

(क) क्रम संख्यांक 8ग के सामने, स्तंभ 2 में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त, किंतु आगामी वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट अवधि तक उपभोग किए गए आवक प्रदाय (आयातों और प्रतिवर्ती प्रभारों के लिए दायी आवक प्रदायों, किंतु जिसमे विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं भी हैं, से भिन्न) आवक प्रदायों पर आईटीसी ";

(ख) भाग 5 के सामने, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"आगामी वित्तीय वर्ष की विवरणियों में विनिर्दिष्ट अवधि तक घोषित वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहार की विशिष्टियां ।";

(ii) अनुदेशों में,--

(क) पैराग्राफ 2 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् -

" 2क. सारणी के क्रम संख्या 4 , 5, 6 और 7 के सामने करदाता केवल वित्तीय वर्ष से सम्बंधित मूल्यों को ही वर्णित करेगा. पिछले वित्तीय वर्ष से सम्बंधित मूल्यों का वर्णन यहाँ नहीं किया जायेगा."

(ख) पैरा 4 में,--

(अ) "वित्तीय वर्ष 2017-18 या वित्तीय वर्ष 2018-19" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या वित्तीय वर्ष 2019-20" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) सारणी के दूसरे स्तंभ में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) पैरा 5 की सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(अ) क्रम सं0 6ख के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के रूप में इनपुट कर दायित्व के विवरण की रिपोर्ट करेगा और उसके पास इनपुटों और इनपुट सेवाओं के रूप में शेष

रकम के विवरण की रिपोर्ट करने का या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण शेष रकम की रिपोर्ट करने का विकल्प होगा ।';

(आ) क्रम सं0 6ग और क्रम सं0 6घ के सामने,--

(i) 'केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय' शब्दों के साथ समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के रूप में इनपुट कर दायित्व के विवरण की रिपोर्ट करेगा और उसके पास इनपुटों और इनपुट सेवाओं के रूप में शेष रकम के विवरण की रिपोर्ट करने का या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण शेष रकम की रिपोर्ट करने का विकल्प होगा ।';

(ii) "केवल सारणी 6ग और सारणी 6घ में सारणी घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के साथ समाप्त होने वाली प्रविष्टि में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(इ) क्रम संख्या 6ङ के सामने, प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के रूप में इनपुट कर प्रत्यय के ब्रेकअप को रिपोर्ट करेगा तथा उसके पास इनपुट तथा इनपुट सेवाओं के रूप में शेष रकम के ब्रेकअप को रिपोर्ट करने या "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण शेष रकम को रिपोर्ट करने का विकल्प होगा । " ;

(ई) प्रविष्टि में क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19", अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20", अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) सीरियल नंबर 8क के सामने, प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -
" वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, यह ध्यान दिया जाए कि 1 नवंबर, 2020 तक उत्पन्न प्रारूप जीएसटीआर -2A का विवरण इस सारणी में स्वतः-जनित होगा।"

(ऊ) सीरियल नंबर 8ग के सामने, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: -
"सभी आवक आपूर्ति (जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, लेकिन एसईज़ेड से प्राप्त सेवाओं की आपूर्ति शामिल है को छोड़कर), वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का सकल मूल्य, जिसके लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, लेकिन जिस पर क्रेडिट अगले वित्तीय वर्ष में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (4) के तहत निर्दिष्ट अवधि में लिया गया था।"

(घ) पैरा 7 में,-

(अ) "अप्रैल 2019से सितंबर 2019", शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात ;-

"वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए भाग 5 संव्यवहारों की विशिष्टियों से मिलकर बना है किंतु अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त किया गया है ।";

(आ) सारणी के दूसरे स्तंभ में,-

(I) क्रम संख्याक 10 और 11 के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित प्रदायों में जोड या संशोधन के ब्यौरे किंतु अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत ऐसे संशोधन यहां घोषित किए जाएंगे ।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, -

(1) "वित्तीय वर्ष 2018-19", शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाली प्रविष्टि में, "इन ब्यौरों को भरने के लिए", शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया था किंतु अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मासों के लिए फाईल की गई विवरणियों में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी । वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को ना भरने का विकल्प होगा ।";

(2) "वित्तीय वर्ष 2017-18", शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाली और "इस सारणी को ना भरने का विकल्प" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने,-

(1) "वित्तीय वर्ष 2018-19", शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाली प्रविष्टि में, "वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक विवरणी में " शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी अर्थात :-

"वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त मालों और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे किंतु अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मासों के लिए फाईल की गई विवरणियों में उसके लिए उपभोग की गई आईटीसी यहां घोषित की जाएगी । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (क) इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी । तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया था किंतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसका पुन: दावा किया गया था, ऐसी पुन: दावा की गई आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे ।";

(2) "वित्तीय वर्ष 2017-18", शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाली और "इस सारणी को ना भरने का विकल्प" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ङ) पैरा 8 की सारणी के दूसरे स्तंभ में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19", शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9ग के निर्देशों में,-

(i) पैरा 4 की सारणी के दूसरे स्तंभ में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19", शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 6 की सारणी के दूसरे स्तंभ में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19", शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

13. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के उपाबंध 1 के कथन 2 के शीर्ष में, "(संचित आईटीसी)" कोष्ठकों, शब्द और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

14. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-16 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात :-

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में, प्रविष्टि (ग) के पश्चात् सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

16. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02 में, प्रविष्टि (ग) के पश्चात् सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात :-

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

17. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में, क्रम संख्या 5 के पश्चात्, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

18. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 में, क्रम संख्या 7 के पश्चात्, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

19. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-09 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

"अधिनियम	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
एकीकृत कर						
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघराज्य क्षेत्र कर						
उपकर						
योग						".

20. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-24 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

"अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य शोध्य	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघराज्य क्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						"

21. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-25 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

"अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य शोध्य	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघराज्य क्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						"

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 72/2020-केंद्रीय कर तारीख 30 सितंबर, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 603(अ) तारीख 30 सितंबर, 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।